"बिजनेस पेमेन्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-0"

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 294] रायपुर, बुधवार, दिनांक 10 सितम्बर 2008—भाद्र 19, शक 1930

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 सितम्बर 2008

क्रमांक 8578/डी. 240/21-अ/प्रा./छ. ग./08.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 04-09-20 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, उप-सचि

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 20 सन् 2008)

छत्तीसगढ़ सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 2008

विषय सूची,

खंड :—

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 20 सन् 2008)

छत्तीसगढ़ सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 2008

सार्वजनिक पुस्तकालय (ग्रंथालय) की स्थापना, सुदृढ़ीकरण, रख रखाव तथा विकास हेतु व्यवस्था करने के लिए अधिनियम ।

यतः छत्तीसगढ़ राज्य में निशुल्क एवं प्रभावी ग्रामीण और नगरीय सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना, सुदृढ़ीकरण, रख रखाव और विकास तथा अन्य सम्बद्ध सेवाओं की व्यवस्था करना समीचीन है ;

अतः एतद्द्वारा भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

अध्याय—एक
प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ

1 (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 2008 कहा जायेगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा ।

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होगा ।

परिभाषाएं

2. इस अधिनियम में—

(क) 'पुस्तक' के अंतर्गत सम्मिलित हैं :—

(एक) प्रत्येक खण्ड, खण्ड का कोई अंश या भाग और किसी भाग में पैम्फलेट, किसी भाषा में समाचार पत्र, पत्रिकायें, धारावाहिक प्रकाशन और पाण्डुलिपियां;

(दो) कागज के ताव पर, संगीत, मैप, चार्ट या पृष्ठ जो पृथक रूप में मुद्रित या शिला—मुद्रित हो;

(तीन) दृश्य—श्रव्य, दृश्य एवं श्रव्य सामग्री जैसे टेप, कैसेट, फिल्म, फिल्म, स्ट्रिप, माइक्रो कार्ड, माइक्रो फिल्म, कम्प्यूटर, फ्लॉपी, कम्पेक्ट डिस्क, फोटो—ग्राफ इत्यादि;

(ख) 'अध्यक्ष' से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन गठित राज्य पुस्तकालय परिषद् के अध्यक्ष;

(ग) 'परिषद्' से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन गठित राज्य पुस्तकालय परिषद्;

(घ) 'निदेशक' से अभिप्रेत है, धारा 6 में निर्दिष्ट सार्वजनिक पुस्तकालयों के निदेशक;

(ड.) 'जिला' से अभिप्रेत है, राज्य का राजस्व जिला;

(च) 'विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी' से अभिप्रेत है, पुस्तकालयों के कार्य की देखरेख हेतु राज्य सरकार द्वारा नियुक्त पुस्तकालय विज्ञान में व्यावसायिक अर्हता रखने वाला अधिकारी जो उप निदेशक की पद श्रेणी से निम्न का न हो;

(छ) 'सार्वजनिक पुस्तकालय' से अभिप्रेत है, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय या राज्य सरकार से सहायता प्राप्त कर रहे अन्य संगठन द्वारा स्थापित अनुरक्षित और प्रबन्धित एवं जनता के लिये खुला घोषित कोई पुस्तकालय तथा उसमें सम्मिलित है, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य पुस्तकालय;

(ज) 'सहायता प्राप्त पुस्तकालय' से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा इस रूप में घोषित कोई पुस्तकालय

(झ) 'वर्ष' से अभिप्रेत है, किसी कैलेण्डर वर्ष के प्रथम अप्रैल को प्रारंभ होने वाले बारह माह की कालावधि;

अध्याय–दो

परामर्शदात्री समितियां

राज्य पुस्तकालय परिषद् का गठन एवं उसके कृत्य

3. (1) इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ एक परिषद् का गठन करेगी जिसे राज्य पुस्तकालय परिषद् कहा जायेगा ।

(2) राज्य पुस्तकालय परिषद् में निम्नलिखित होंगे :–

1. मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन; — अध्यक्ष

(क) सार्वजनिक पुस्तकालय नीति और प्रणाली का निरूपण और संवर्धन करना;

(ख) सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास के संबंध में बजट और अन्य वित्तीय प्रस्ताव को प्रक्रिया में लाना, योजना बनाना और तैयार करना;

(ग) सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तकालय प्रणाली के विकास का अनुश्रवण और मूल्यांकन करना;

(घ) पुस्तकों और अन्य सामग्री का केन्द्रीय स्तर पर अधिग्रहण, उपायन और वितरण का नियोजन, पर्यवेक्षण, नियंत्रण और समन्वय करना;

(ड.) स्वयंसेवी सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तकालय संघों को आवेदन पर मान्यता प्रदान करना;

(च) राज्य के सार्वजनिक पुस्तकालयों के क्रियाकलापों का समन्वय और पर्यवेक्षण करना;

(छ) पुस्तकालय परिषद और स्थायी समिति से संबंधित मामलों को प्रक्रिया में लाना;

(ज) अन्य विभागों द्वारा दी जाने वाली पुस्तकालय संबंधी सेवाओं में सहयोग एवं सम्पर्क स्थापित करने के लिये उपाय अपनाना;

(झ) शिक्षा विभाग के अधीन अन्य पुस्तकालय सेवाओं से संबंधित मामलों को प्रक्रिया में लाना;

(ञ) राज्य के भीतर और बाहर व्यावसायिक निकायों और संघों से संपर्क स्थापित करना;

(ट) राज्य सरकार के अन्य विभागों के अधीन पुस्तकालयों से संबंधित मामलों पर परामर्श देना;

(ठ) सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली में पुस्तकालयाध्यक्षों के लिए अनवरत शिक्षा कार्यक्रम" यथा पुनश्चर्या पाठ्यक्रम इत्यादि आयोजित करना;

(ड) ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करना जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर उसे समनुदेशित किये जाये ।

जिला पुस्तकालय समिति का गठन एवं उसके कृत्य

5. (1) राज्य के प्रत्येक जिले में एक जिला पुस्तकालय समिति होगी जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

1. जिला कलक्टर
2. मुख्य कार्यपालिक अधिकारी, जिला पंचायत
3. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान — सदस्य
4. सचिव, जिला साक्षरता समिति — सदस्य
5. जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी — सदस्य
6. पेंशन भोगी संघ द्वारा नामनिर्दिष्ट एक व्यक्ति — सदस्य
7. जिला शिक्षा अधिकारी — सदस्य
8. संयुक्त संचालक/उप संचालक सहायक संचालक, सूचना — सदस्य
9. अध्यक्ष, जिला पंचायत या उसका नाम निर्देशिती — सदस्य
10. अध्यक्ष, नगर निगम या उसका नाम निर्देशिती — सदस्य
11. जिले के एक डिग्री महाविद्यालय का पुस्तकालयाध्यक्ष,जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा — सदस्य
12. शासकीय महाविद्यालय का प्राचार्य, जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा — सदस्य
13. जिला पुस्तकालय संघ का एक प्रतिनिधि — सदस्य
14. समन्वयक नेहरू युवा केन्द्र — सदस्य
15. पुस्तकालयाध्यक्ष, जिला शासकीय पुस्तकालय, यदि कोई हो — सदस्य/सचिव

(2) जहां किसी जिले में जिला शासकीय पुस्तकालय का कोई पुस्तकालयाध्यक्ष न हो, वहां कम–संख्या 12 में विनिर्दिष्ट सदस्य सदस्य–सचिव होगा ।

(3) जिला पुस्तकालय समिति जिले में सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली के विकास के लिए योजनाएं तैयार करेगी और उसकी प्रगति का अनुश्रवण (मानिटर) करेगी । यह ऐसे अन्य कृत्यों का भी निष्पादन करेगी जिन्हें विहित किया जाये।

अध्याय–तीन

सार्वजनिक पुस्तकालयों का निदेशक

सार्वजनिक पुस्तकालयों का निदेशक

6. माध्यमिक (सेकेण्डरी) शिक्षा, छत्तीसगढ़ सार्वजनिक पुस्तकालयों का निदेशक होगा और वह इस अधिनियम के उपबन्धों के उचित प्रशासन और प्रवर्तन के लिये उत्तरदायी होगा ।

निदेशक के कृत्य

7. राज्य सरकार के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, निदेशक–

(क) राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली और सेवाओं के विकास के लिये वार्षिक बजट, वार्षिक एवं पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करेगा और सरकार को प्रस्तुत करेगा;

(ख) समस्त सार्वजनिक पुस्तकालयों, जिनके अंतर्गत सरकारी सहायता प्राप्त सार्वजनिक पुस्तकालय भी हैं, के कार्य पर विवरणात्मक और सांख्यिकीय रिपोर्ट एवं आंकड़े एकत्र करेगा;

(ग) पुस्तकालय का और विभिन्न सार्वजनिक पुस्तकालयों की सूचना सेवाओं का न्यूनतम मानक निर्धारित करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि राज्य के सार्वजनिक पुस्तकालय ऐसा मानक बनाए रखें;

(घ) विभिन्न प्रकार के पुस्तकालय कर्मियों के उनके सेवा में रहते हुए,प्रशिक्षण को सुनिश्चित, आयोजित और सहयोग प्रदान करेगा;

(ङ) राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालयों का समुचित निरीक्षण सुनिश्चित करेगा;

(च) समस्त सार्वजनिक पुस्तकालयों के कार्य का पर्यवेक्षण और समन्वय करेगा;

(छ) जिला स्तर पर पुस्तकालय समितियों के समुचित कार्य संचालन को सुनिश्चित करेगा;

(ज) सार्वजनिक पुस्तकालय सेवाओं के विकास के संबंध में वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और प्रस्तुत करेगा;

(झ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निष्पादन करेगा जो उसे राज्य सरकार द्वारा समय समय प्रदत्त या समनुदेशित किये जायें ।

अध्याय– चार

सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली की संरचना और विभिन्न राजकीय केन्द्रों और पुस्तकालयों के कृत्य

राज्य स्तरीय पुस्तकालय

8. राज्य में दो राज्य स्तर के पुस्तकालय होंगे जिसमें एक राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय रायपुर होगा और दूसरा राज्य संदर्भ पुस्तकालय बिलासपुर होगा ।

राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय के कृत्य

9. राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय के निम्नलिखित कृत्य होंगे:–

(क) सामान्य जनता के लिये उपयोगी समस्त वाचन सामग्रियां प्राप्त करना एवं व्यवस्था करना;

(ख) सामान्य जनता को स्ववाचन की सुविधा प्रदान करना;

(ग) राज्य में अन्य सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिये किसी अनुपूरक के रूप में कार्य करना;

(घ) व्यापक स्तर पर जनता के माध्य वाचन की आदतें संवर्धित करने हेतु पुस्तक प्रदर्शनियों, व्याख्यानों, संगोष्ठियों और अन्य कियाकलापों का आयोजन करना;

(ड.) राज्य और केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विकास योजनाओं कल्याण कार्यकमों से संबंधित सूचना का प्रसार करने हेतु किसी अभिकरण के रूप में कार्य करना;

(च) ऐसी रीति से जैसी कि विहित किए जाए, सामान्य जनता को पुस्तक उधार देने की सेवाएं प्रदान करना;

(ख) क्षेत्रीय/स्थानीय हित की सामग्री का संग्रह करेगा;

(ग) संदर्भ, सूचना और प्रदाय सेवाओं को उपलब्ध करायेगा और वाचन आदतों को बढ़ावा देने और उसमें विस्तार करने में सहायता करेगा;

(घ) शाखा/तहसील/खण्ड/ग्राम पुस्तकालय और अन्य अभिकरणों द्वारा संचालित पुस्तकालय के संग्रह की अनुपूर्ति करेगा;

(ङ.) जिले में अन्तर्पुस्तकालय सहयोग को प्रोत्साहित करेगा और पर्यवेक्षण करेगा;

(च) चल पुस्तकालय सेवाओं की व्यवस्था करेगा और जहां कहीं आवश्यक हो पुस्तक परिदान केन्द्र स्थापित करेगा;

(छ) जिले के अन्य शासकीय शाखा/तहसील/खण्ड/ग्राम पुस्तकालयों और चल पुस्तकालय सेवाओं के क्रियाकलापों में समन्वय स्थापित करेगा और उसका पर्यवेक्षण करेगा;

(ज) जिले में सावधिक रूप से अन्य शासकीय पुस्तकालयों और अन्य सहायता प्राप्त पुस्तकालयों का निरीक्षण करेगा;

(झ) जिला पुस्तकालय प्रणाली के लिए विकास योजनाओं की तैयारी के कार्य में जिला पुस्तकालय समिति को सहायता उपलब्ध करायेगा;

(ञ) ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करेगा जो उसे जिला पुस्तकालय समिति द्वारा सौंपे जायें ।

अध्याय– पांच

वित्त

12. पुस्तकालय विकास योजना, राज्य के केन्द्रीत और अकेन्द्रीत वार्षिक और पंचवर्षीय योजनांतर्गत और आयोजनांर्गत बजट का समग्र भाग होगा । राज्य सरकार, यदि वह आवश्यक समझे सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली की सहायता और उसके विकास के लिए अतिरिक्त संसाधन बढ़ाने के अर्थोपाय का भी पता कर सकेगी । वित्त

अध्याय– छः

मान्यता देना एवं मान्यता का वापस लिया जाना

सार्वजनिक पुस्तकालयों और सार्वजनिक पुस्तकालय संघों की मान्यता

13. (1) राज्य सरकार छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के अधीन रजिस्ट्रीकृत स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित किसी पुस्तकालय, या किसी सार्वजनिक पुस्तकालय के रूप में जनता के उपयोग के लिए खोले गये किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा संचालित किसी पुस्तकालय को उसके लिए सहायता अनुदान या अन्य वित्तीय सहायता के संदाय के प्रयोजनार्थ मान्यता प्रदान कर सकेगी है ।

(2) राज्य सरकार, नियमों के अनुसार, उसके लिए सहायता अनुदान या अन्य वित्तीय सहायता के संदाय के प्रयोजनार्थ छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,1973 के अधीन रजिस्ट्रीकृत राज्य में किसी सार्वजनिक पुस्तकालय संघ को मान्यता प्रदान कर सकेगी ।

पालन नहीं होने असफल रहने का उपबंध

14. किसी सार्वजनिक पुस्तकालय में यदि यह पाया जाता है कि वह वैध निर्देश का पालन नहीं कर पा रहा है/असफल रहता है, अथवा इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गए नियम द्वारा किए गए किसी बाध्यता को पूरा करने में असफल रहता है, तो राज्य सरकार, राज्य परिषद् से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् राजपत्र में आदेश प्रकाशित करते हुए लिखित आदेश द्वारा ऐसे सार्वजनिक पुस्तकालय की मान्यता वापस ले सकेगी।

तथापि उक्त सार्वजनिक पुस्तकालय के संबंध में स्थायी समिति द्वारा राज्य परिषद् को प्रतिवेदन भेजे जाने के पश्चात् ही राज्य परिषद् द्वारा प्रतिवेदन भेजा जावेगा ।

अध्याय– सात

रिपोर्ट और निरीक्षण

रिपोर्ट और निरीक्षण

15. (1) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो किसी सार्वजनिक पुस्तकालय के प्रबन्धन का प्रभारी हो और प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो, सार्वजनिक पुस्तकालय संघ का प्रभारी हो, ऐसी रिपोर्ट और विवरणियां प्रस्तुत करेगा और ऐसी सूचना उपलब्ध करायेगा जैसा कि राज्य सरकार समय समय पर अपेक्षा करे ।

(2) निदेशक या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को, स्वयं का समाधान करने के प्रयोजन लिए कि इस अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी नियमावली के उपबन्धों का अनुपालन किया जा रहा है, सार्वजनिक पुस्तकालयों और सार्वजनिक पुस्तकालय संघों या उससे सम्बद्ध किसी संस्था या वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली पुस्तकालय सेवा और पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सचालित करने वाली किसी संस्था के निरीक्षण करने की शक्तियां होंगी ।

(3) प्रत्येक वर्ष की समाप्ति के छः माह के भीतर निदेशक, उस वर्ष में, ऐसी सूचना और विवरणों, जैसा कि विहित किया जाये के साथ सार्वजनिक पुस्तकालयों और सार्वजनिक पुस्तकालय संघों की कार्यप्रणाली और उनके प्रशासन तथा उनके द्वारा की गयी प्रगति पर एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा ।

अध्याय– आठ

प्रकीर्ण

परिषद् के सदस्य लोक सेवक होंगे

16. इस अधिनियम के उपबंधों अथवा उसके अधीन बनाये गए किसी नियमों और विनियमों के अनुसरण में कार्य करने के दौरान या करने के लिए तात्पर्यित परिषद् के समस्त सदस्य को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थों के भीतर लोक सेवक माने जाएगे ।

सद्भावनापूर्वक की गयी कार्यवाही का संरक्षण

17. इस अधिनियम के उपबधों या अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसरण में सद्भावनापूर्ण की गयी या किये जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए परिषद् या उसके किसी सदस्य या सेवक के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं की जाएंगी ।

परिषद् के कार्य और कार्यवाहिया विधिमान्य होंगे

18. परिषद या उसकी किसी समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल निम्नलिखित कारण से अविधिमान्य नहीं होगी:–

(क) उसमें कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि, या

(ख) उसकी प्रक्रिया में कोई अनियमितता ।

नियम बनाने की शक्ति

19. (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(2) विशेष रूप से और पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना समस्त या किसी मामले का उपबंध करने के लिए ऐसे नियम बनाये जा सकेंगे अर्थात् –

(क) सार्वजनिक पुस्तकालय संघों या पुस्तकालय अधिकारियों से प्रतिनिधि निर्वाचित करने की रीति;

(ख) अध्यक्ष द्वारा निष्पादित की जाने वाली शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य;

(ग) ऐसी अन्य शक्तियां और कृत्य, जिनका प्रयोग और निष्पादन परिषद् द्वारा किया जा सके;

(घ) परिषद् और उसकी समितियों के सदस्यों को संदेय भत्ते और दरें जिन पर उन्हें भुगतान किया जायेगा;

(ड.) निदेशक या पुस्तकालय प्रकोष्ठ द्वारा प्रयोग और निष्पादित की जाने वाली अन्य शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य

(च) जिला पुस्तकालय समितियों द्वारा निष्पादित किये जाने वाले कृत्य;

(छ) सार्वजनिक पुस्तकालयों और सार्वजनिक पुस्तकालय संघों की मान्यता;

(ज) वार्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित की जाने वाली सूचना और विवरण;

(झ) कोई अन्य मामला, जो विहित किया जाना हो या विहित किया जा सकता है ।

विनियम बनाने की शक्ति

20 (1) परिषद्, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्य का निर्वहन करने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनसगत विनियम बना सकेगी ।

(2) विशेष रूप से और पूर्ववर्ती शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना समस्त या किसी मामले के लिए ऐसे विनियम का उपबन्ध कर सकेगी; अर्थात:–

(क) समय, दिनांक और स्थान, जिस पर परिषद बैठक करेगी और अपनी बैठक में अपने कार्य करने के संबंध में प्रक्रिया के नियम, जिनका परिषद् पालन करेगी ।

(ख) अन्य समितियां, जिनका गठन परिषद कर सकती है, उनमें सदस्यों की संख्या और कृत्य, जिनका निष्पादन ऐसी समितियों द्वारा किया जा सकता है ।

कठिनाईयों के निराकरण की शक्ति

21. (1) यदि इस अधिनियम के प्रावधानों के कियान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, राजपत्र में आदेश प्रकाशित करते हुए इस अधिनियम के प्रावधानों से अनसंगत ऐसे प्रावधान बना सकेगी जैसा कि उसे कठिनाई के निवारण हेतु आवश्यक प्रतीत हो ।

(2) इस धारा के अधीन किये गये प्रत्येक आदेश इसके किये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र विधान मंडल के पटल पर रखे जायेंगे ।

रायपुर, दिनांक 10 सितम्बर 2008

क्रमांक 8578/डी. 212 21-[illegible] ग्रा./छ ग /08 —भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में [illegible] सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 2008 (क्रमांक 20 सन् 2008) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित कि[illegible] है

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, उप

CHHATTISGARH ACT

(No. 20 of 2008)

THE CHHATTISGARH PUBLIC LIBRARIES ACT, 2008

An Act to provide for the establishment, organization, maintenance and development of Public Libraries.

Whereas it is expedient to provide for the establishment organization maintenances and development of free and effective rural and urban Public Libraries and other allied service in the State of Chhattisgarh;

It, is hereby, enacted in the Fifty-Ninth Year of the Republic of India as follows —

CHAPTER-1

PRELIMINARY

Short Title, extent and commencement

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Public Libraries Act 2008.
(2) It extend to whole of the State of Chhattisgarh
(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Definitions

2. In this Act, -
(a) "Book" includes, —
(i) every volume, a part or division of a volume and pamphlet, , in any language, newspapers, periodicals, serial publication and manuscripts,
(ii) sheet of music, map, chart or plan separately printed or lithographed;
(iii) audio-visual, audio and visual materials such as tapes, cassettes, films, filmstrips, micro card, microfilm computer, floppy, compact disk, photograph etc ;

(b) "Chairman" means the Chairman of the State Library Council constituted under this Act,
(c) "Council" means the State Library Council constituted under this Act;
(d) "Director" means the Director of Public Libraries referred to in Section6;
(e) "District" means a Revenue District of the State,
(f) "Officer on Special Duty (Libraries)" means an officer having professional qualification in Library Science not below the rank of Deputy Director appointed by the state Government to look after the affairs of Libraries;

the State Library Council or any other outside agency connected with the Public Library Development

(3) Without prejudice to the provisions contained in sub-section (2) the functions of State Standing Committee shall also be, —

(a) to enunciate and promote public library policy and system;

(b) to process, plan and prepare budget and other financial proposals in connection with the development of public libraries;
(c) to monitor and evaluate the growth of public libraries and library system;
(d) to plan supervise, control and coordinate central acquisition, procurement and distribution of books and other material;
(e) to recognize voluntary public libraries and library associations on application;
(f) to coordinate and supervise the activities of the public libraries of the State;
(g) to process matters concerning the library council and the standing committee;
(h) to adopt measures for establishing cooperation and liaison among library service rendered by other departments;
(i) to Process matters concerning other library service under the Education Department;
(j) to establish liaison with professional bodies and associations within and outside the State;
(k) to advise on matters concerning libraries under other departments of the State Government;
(l) to organize "continuing education programs" for librarian in public library system such as refresher course etc.;
(m) to perform such other function as may be assigned to it by the State Government from time to time.

Constitution and funcition of District Library Committee.

5 (1) There shall be a District Library Committee in each district of the state consisting of,—

1.	the District Collector	Chairperson
2.	the Chief Executive Officer, Zila Panchayat	Vice-Chairperson
3.	the Principal, District Institute for Education and Training	Member
4	the Secretary, District Literacy Committee	Member
5	the District Sports and Youth Welfare Officer	Member

(e) ensure the proper inspection of the Public Libraries in the State ;
(f) supervise and coordinate the performance of all public Libraries ;
(g) ensure proper functioning of the Library Committees at District Level ;
(h) prepare and submit annual report in connection with the development of Public Library Services ;
(i) exercise such other powers and perform such other duties as may be conferred on or assigned to him by the State Government from time to time.

CHAPTER-IV

STRUCTURE OF THE PUBLIC LIBRARY SYSTEM AND FUNCTION OF VARIOUS STATE CENTRES LIBRARIES

State Level Libraries

8. There shall be two State Level Libraries in the State, of which one shall be the State Central Library at Raipur and the other shall be the State Reference Library at Bilaspur.

Functions of the state Central Library

9. The functions of the State Central Library shall be, –

(a) to procure and organize all reading material useful for the general public ;
(b) to Provide facility of self-reading to the general public,
(c) to act as a supplement to other Public Libraries in the State;
(d) to organize book exhibitions, Lectures, seminars and other activities etc. for promoting reading habits among public at large;
(e) to act as an agency to disseminate information relating to various development schemes / welfare progarames of the State and the Central Government;
(f) to provide book lending service to the general public in such manners as may be prescribed;
(g) to plan and co-ordinate library co-operation among Public Libraries in the State including inter-library loan service;
(h) to provide reading facilities and special services to handicapped.
(i) to work as an apex institution in Public Library System of the State;
(j) to procure and make available literatures suitable for neo literates as a support system for various adult education programmes in the State;
(k) to promote Computerization in Public Libraries of the State and organize training programmes for the benefit of professionals working in Public Libraries;

(l) to carry out such other work as may be entrusted to the State Library Council or the Director for the Development of Public Library System and service in the State.

Function of the State Reference Library

10. The functions of the State Reference Library shall be; -

(a) to procure all useful material published in the State;
(b) to compile a computerized union catalogues of Public Libraries in the State;
(c) to compile and publish comprehensive bibliographies on various subjects for the benefits of scholars and researchers, especially in the field of "humanities" and "social science"
(d) to provide reading facilities to general public for reference and research purposes;
(e) to acquire the handwritten rare manuscripts available at different places in the State and to compile and publish comprehensive bibliographies of such rare manuscripts,
(f) to preserve rare manuscripts with the help of chemical treatment or/and microfilming;
(g) to compile a union catalogue of manuscripts available in different libraries of the State;
(h) to carry out various documentation activities and news paper clippings on important aspects of general interest;
(i) to examine and evaluate the old and unuseful collection of public libraries for declaring such material unuseful after identifying the material having permanent significance;
(j) to promote library co-operation on different aspects of library operations including inter-library lending for the benefit of reader in other public libraries;
(k) to participate, in various existing computerized library network such as "DELNET" etc. for the benefit of users;
(l) to carry out any work entrusted by State Library Council or Director for the development of public library system in the State.

Distric Libraries

11. There shall be a Government District Library in each District. A District library shall function as an apex library for the district library system in addition to functioning as a lending and reference library for the district. The District library shall,-

(a) collect useful and standard literature and other reading material, audio-visual equipment for the use of the public:
(b) collect material of regional/local interest,
(c) provide reference, information and lending services and help in promotion and extension of reading habits,
(d) supplement the collection of branch/ tehsil / block/ village libraries and libraries run by other agencies;
(e) encourage and supervise inter library co-operation in the district;
(f) provide mobile library services and establish book delivery centers wherever necessary;

(g) coordinate and supervise the activities of other Government branch /Tehsil /Block / Village libraries of the district and mobile library services;
(h) inspect periodically the other government libraries and other aided libraries in the district;
(i) provide assistance to the district library committee in the task of preparation of development plans for the district library system;
(j) perform such other functions as may be entrusted to it by the District Library Committee.

CHAPTER-V

FINANCE

Finance

12. The library development plan shall form an integral part of the centralized and decentralized annual and five year plan and non plan budget of the State. The State Government, if it considers necessary may also find means and ways to raise additional resources to support and develop the Public Library System.

CHAPTER-VI

RECOGNITION AND DERECOGNITION

Recognition of Public Libraries and Public Library Associations

13. (1) The State Government may recognize any library run by the voluntary organizations registered under the Chhattisgarh Society Registrikaran Adhiniyam, 1973, or any library run by local authority open for use to the public as public library for the purpose of payment of grant-in-aid or other financial assistance to it.

(2) The State Government may, in accordance with the rules, recognize any public library association in the State registered under the Chhattisgarh Society Registrikaran Adhiniyam, 1973 for the purpose of payment of grant-in-aid or other financial assistance to it.

Provision of not complying/fails

14 Any public library if it is found that it is not complying/fails to comply with the valid direction or it fails to fulfill any obligations laid down in this Act or rules made the state Government on receipt from the state council after giving an opportunity of being heard may by an order in writing to be published in the official gazette derecognize such public libraries.

However, the report that shall be sent by the state council shall be only after the standing committee send a report to the state council on the said public library.

CHAPTER-VII

REPORTS AND INSPECTIONS

Reports and Inspections

15. (1) Every person who is in-charge of the management of a public library and every person who is in-charge of public library association shall submit such reports and returns and furnish such information as the State Government may from time to time require.

(2) The Director or an officer authorized by him in this behalf shall have power to inspect public libraries and public library associations or any institution attached thereto or any institution conducting the training courses in library service and library and information science receiving financial assistance, for the purpose of satisfying himself that the provisions of this Act and the rules made there under are being carried out.

(3) Within six months from the close of every year, the director shall prepare an annual report on the working and administration of and the progress made by, public libraries and public library associations in that year together with such information and particulars as may be prescribed and submit the same to the State Government.

CHAPTER-VIII

MISCELLANEOUS

Members of the Council shall be public servants

16. All the members of the Council while acting or purporting to act in pursuance of the provisions of this Act or any rules and regulations made there under, be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code.

Protection of action taken in good faith

17. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the Council or any member or servant thereof for anything done or intended to be done in good faith in pursuance of the provisions of this Act or the rules and regulations made there under.

Acts and proccedings of the council be valid

18. No act or proceeding of the Council or any of its committees shall be invalid merely by reasons of, –

(a) any vacancy therein or any defect in constitution thereof, or
(b) any irregularity in its procedure.

Power to make rules

19. (1) The Sate Government may by notification make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may be made to provide for all or any of the following matters namely :-

(a) manner for electing representatives from public library associations or Library Officers;
(b) the powers, duties and function to be performed by the Chairperson;
(c) such other powers and functions as may be exercised and performed by the Council;
(d) the allowances payable to the members of the Council and its Committees and the rates at which they shall be payable;
(e) other powers, functions and duties to be exercised and performed by the Director or the Library Cell;
(f) the function to be performed by the district library committees;
(g) recognition of public libraries and public library associations;
(h) the information and particulars to be included in the annual report;
(i) any other matter which is to be or may be prescribed.

Power to make regulations

20. (1) The Council may make regulations not inconsistent with the provisions of this Act and the rules made there under to discharge its function under this Act.

(2) In particular and without prejudice to the foregoing powers, such regulations may provide for all or any of the following matters namely –

(a) the time, date and place at which the Council shall meet and the rules of procedure the Council shall observe in regard to transaction of its business at its meeting;

(b) other committees which council may constitute, the number of members therein and the functions which may be performed by such committees.

Power to remove difficulties

21. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may by order published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act as may appear to be necessary for removing the difficulties;

(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before the house of the State Legislature.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव में मुद्रित तथा प्रकाशित—2008

अध्याय– छः

मान्यता देना एवं मान्यता का वापस लिया जाना

सार्वजनिक पुस्तकालयों और सार्वजनिक पुस्तकालय संघों की मान्यता

13. (1) राज्य सरकार छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के अधीन रजिस्ट्रीकृत स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित किसी पुस्तकालय, या किसी सार्वजनिक पुस्तकालय के रूप में जनता के उपयोग के लिए खोले गये किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा संचालित किसी पुस्तकालय को उसके लिए सहायता अनुदान या अन्य वित्तीय सहायता के संदाय के प्रयोजनार्थ मान्यता प्रदान कर सकेगी है ।

(2) राज्य सरकार, नियमों के अनुसार, उसके लिए सहायता अनुदान या अन्य वित्तीय सहायता के संदाय के प्रयोजनार्थ छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,1973 के अधीन रजिस्ट्रीकृत राज्य में किसी सार्वजनिक पुस्तकालय संघ को मान्यता प्रदान कर सकेगी ।

पालन नहीं होने असफल रहने का उपबंध

14. किसी सार्वजनिक पुस्तकालय में यदि यह पाया जाता है कि वह वैध निर्देश का पालन नहीं कर पा रहा है/असफल रहता है, अथवा इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गए नियम द्वारा किए गए किसी बाध्यता को पूरा करने में असफल रहता है, तो राज्य सरकार, राज्य परिषद् से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुनवाई का अवसर प्रदान करने के, पश्चात् राजपत्र में आदेश प्रकाशित करते हुए लिखित आदेश द्वारा ऐसे सार्वजनिक पुस्तकालय की मान्यता वापस ले सकेगी।

तथापि उक्त सार्वजनिक पुस्तकालय के संबंध में स्थायी समिति द्वारा राज्य परिषद् को प्रतिवेदन भेजे जाने के पश्चात् ही राज्य परिषद् द्वारा प्रतिवेदन भेजा जावेगा ।

अध्याय– सात

रिपोर्ट और निरीक्षण

रिपोर्ट और निरीक्षण

15. (1) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो किसी सार्वजनिक पुस्तकालय के प्रबन्धन का प्रभारी हो और प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो, सार्वजनिक पुस्तकालय संघ का प्रभारी हो, ऐसी रिपोर्ट और विवरणियां प्रस्तुत करेगा और ऐसी सूचना उपलब्ध करायेगा जैसा कि राज्य सरकार समय समय पर अपेक्षा करे ।